



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN) : U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005



RVPN - F&R No.

1347

No.: RVPN/CAO (P&F)/AAO/F&R/F. 98 (Pt.-II)/D. 63

Dated: 22.07.2020

ORDER

Sub: - Partial refund of Performance Security due to COVID-19 pandemic.

In exercise of the powers conferred vide order No. RVPN/ADMO/AS/CC/F&R/D. 205 dated 01.12.2001, the Chairman and Managing Director, RVPN, is pleased to adopt the Finance Department, GoR circular No. F.1(1)Vitt/GF&AR/2007 dated 17.06.2020 (Copy enclosed) provided that: -

1. Works/Supply of material/services are done as per schedule and there is no delay in achieving 50%, 75% and 100% of works/supply/services completion milestones.
2. The decision regarding release of performance security will be taken by the tender approving authority.


(Sourabh Bhatt)

Chief Accounts Officer (P&F)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
2. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
3. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts), RVPN, Jaipur.
4. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Zonal Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Chief Personnel Officer, RVPN, Jaipur.
7. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
8. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN, Jaipur.
9. The Regional Chief Accounts Officer, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
10. The Company Secretary, RVPN, Jaipur.
11. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.

13. The Incharge, Data Centre, RVPN, 101, Vidyut Bhawan, Jaipur.
14. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
15. The Sr. Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
16. The Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
17. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
18. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
19. Public Relation Officer, RVPN, Jaipur.
20. Office Order/Master File.


(O.P.Gupta)

Asstt. Accounts Officer-I(F&R)



राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 1(1) वित्त / साविलेनि / 2007

जयपुर, दिनांक : / 7.06.2020

परिपत्र

विषय : कोविड-19 की विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य निष्पादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान।

राज्य सरकार द्वारा भाल, सेवा तथा संकर्म के उपापन में संवेदक से कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) लिये जाने के प्रावधान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-11 के नियम 57 तथा 68 एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 597 में संवेदक से प्राप्त कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान वर्णित है।

वर्तमान में विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी की इस विशिष्ट परिस्थिति में संवेदकों के पास नकदी की तरलता की वृद्धि हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :-

जहां संवेदक द्वारा कुल अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत तक या इससे अधिक सामान की आपूर्ति, सेवा प्रदाय, संकर्म का निष्पादन पूर्ण कर दिया हो तथा अनुबंध की समस्त अन्य शर्तों की पालना पूर्ण हो रही हो तो संवेदक के आवेदन के आधार पर कुल कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का 25 प्रतिशत तक प्रतिदाय किये जाने का उपापन संस्था द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा इसी प्रकार 75 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर 75 प्रतिशत राशि प्रतिदाय की जायेगी शेष 25 प्रतिशत राशि अनुबंध की शर्तों के पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिदाय की जायेगी।

इस प्रकार कम से कम अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्य संपादन प्रतिभूति की 25 प्रतिशत राशि उपापन संस्था के पास रहेगी तथा अनुबंध की शर्तों की पालना के अस्थायीन ही प्रतिदाय की जायेगी।

यह परिपत्र निर्माण विभागों के O&M प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा।

(हसनत कुमार मेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीमण्डल / राज्य मंत्रीमण्डल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अति, मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकसुलत सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (प्रतिद एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अकंवेण) विभाग को उनके अधीनस्थ अकंवेण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कालक्टर / समंतीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थानों को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावे।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक (Computer cell), वित्त विभाग को नेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।

(हसनत कुमार मेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

(GF&AR 8/2020)